पेज संख्या 1/4

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 34/2016

अपीलांट

1. कालेखॉ वल्द अदरीमखा कौम सिपाही मुसलमान साकिन नया चैनपुरा तह. बागौड़ा जिला जालोर के कायम मुकाम–
   1/1. मुरादि पत्नी कालेखॉ
   1/2. ईस्लाम पुत्र कालेखॉ
   1/3. साकिन बानू पुत्री कालेखॉ
   1/4. मीमो बानू पुत्री कालेखॉ
   1/5. नबी बानू पुत्री कालेखॉ

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. मंगाराम पुत्र प्रतापा
2. गेदाराम पुत्र प्रतापा
3. भोमाराम पुत्र प्रतापा तमाम कौम कलबी निवासीगण नया चैनपुरा तह. बागोड़ा, जिला जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार माली, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री निखिल दवे, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 7/09/2021

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 51/2012 बउनवान मांगाराम वगैरा बनाम कालेखॉ वगैरह में पारित आदेश दिनांक 10.07.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नया चैनपुरा में रेस्पोडेन्ट की सामलाती खातेदारी वर्तमान खातेदारी खसरा संख्या 67 एकबा 6.13 हैक्टर किश्म जाव चाही सोयम,

की आई हुई है। जिसमें रेस्पोडेन्ट की रहवासीय ढाणी बनी हुई है। एवं टयूबवैल खुदा हुआ है। उक्त खोतदारी के चारो ओर खातेदारी खेत आए हुए है। रेस्पोडेन्ट के पास आने–जाने के लिए रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। रेस्पोडेन्ट की खातेदारी खसरा संख्या 67 के दक्षिण की तरफ अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 68 रकबा 1.80 हैक्टर की स्थित है। जिसके माठ की तरफ सार्वजनिक रास्ता आया हुआ है। जिसमें से अपीलाण्टगण अपनी खातेदारी में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि के निकटतम सरकारी रास्ता है। जिसपर अदालत महातत द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस के तलब किया गया, बाद तलब अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नही है। साथ ही वकील अपीलांट न बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मनगढत तथ्यों का उल्लेख कर जैर अपील आदेश प्राप्त किया है। वस्तुत अपीलांट ने गावं राउता से गावं नादियां जाने वाली ग्रेवल संडक पर खसरा संख्या 68 रकबा 1.80 हैक्टर की खातेदारी चैनपुरा के राजपूतो द्वारा जरिए बैचान हक खातेदारी के खरीद किया है। उक्त खातेदारी आराजी अपीलांट द्वारा अपने खून पसीने की कमाई से धन एकत्र कर खरीद किया है। अपीलांट उक्त खसरा संख्या 68 रकबा 1.80 हैक्टर आराजी में से फसल लेकर ही अपना जीवन यापन करता है। धारा 251'ए' की मंशा एप्सन ऑफ वे होने की सूरत में ही खातेदारी खेत में से रास्ता दिया जाना अपेक्षित है परन्तु उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के खेत में जाने हेतु उक्त खोतदारी के दक्षितण दिशा की तरफ स्थित राउता से नादीया जाने वाली ग्रेवल सडक से होते हुए उत्तर दिशा की तरफ रेस्पोडेन्ट की खातेदारी खेत में चलता है जो रास्ता रेस्पेडेन्ट की खातेदारी में जाने हेतु कदीमी रास्ता है उक्त कदीमी रास्ते का उपयोग व उपभोग पीढीयों से करते आ रहे है। हस्तगत प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 67 की भूमि में रहवासी ढाणी व ट्यूबवैल होना उल्लेखित किया है जबकि खसरा संख्या 67 की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की कोई रहवासीय ढाणी व टयूबवैल मौके पर नही है ये तथ्य अदालत की पत्रावली में मौजूद मौका जॉच रिपोर्ट दिनांक 09.04.2015 से स्पष्ट है जिसमें ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि अपीलांट कालेखॉ की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 68 व 62 की है जो मौके पर एक ही चक में है जिसकी माठ पर रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 68 की खातेदारी के पश्चिमी माठ के सारे–सारे रास्ता देकर विधि विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया है। उक्त मौका रिपोर्ट भी अपीलांट की गैर मोजूदगी मे बनवाई गई है। जैर अपील आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट चैनपुरा जरिये राजीनामा प्रपत्र के निस्तारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियानों का मंसूबा राजीनामा योग्य प्रकरणों को निस्तारित करने मात्र का है। उक्त प्रकरण किसी भी रूप में राजीनामा योग्य नही था एवं राजीनामा में किसी प्रकार की सहमति अपीलांट की नही रही है। केवल मात्र रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की उपस्थिति दर्ज कर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नया चैनपुरा में रेस्पोडेन्ट की सामलाती खातेदारी वर्तमान खातेदारी खसरा संख्या 67 रकबा 6.13 हैक्टर किश्म जाव चाही सोयम, की आई हुई है। जिसमें रेस्पोडेन्ट की रहवासीय ढाणी बनी हुई है। एवं टयूबवैल खुदा हुआ है। उक्त खोतदारी के चारो ओर खातेदारी खेत आए हुए है। रेस्पोडेन्ट के पास आने–जाने के लिए रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। रेस्पोडेन्ट की खातेदारी खसरा संख्या 67 के दक्षिण की तरफ अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 68 रकबा 1.80 हैक्टर की स्थित है। जिसके माठ की तरफ सार्वजनिक रास्ता आया हुआ है। जिसमें से अपीलाण्टगण अपनी खातेदारी में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि के निकटतम सरकारी रास्ता है। जिसपर अदालत महातत द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस के तलब किया गया, बाद तलबी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए जेर अपील आदेश पारित किया है। जो विधिसम्मत हैं अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध अपीलाट्स अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नया चैनपुरा में रेस्पोडेन्ट की सामलाती खातेदारी वर्तमान खातेदारी खसरा संख्या 67 रकबा 6.13 हैक्टर किश्म जाव चाही सोयम, की आई हुई है। रेस्पोडेन्ट के पास आने–जाने के लिए रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है। रेस्पोडेन्ट की खातेदारी खसरा संख्या 67 के दक्षिण की तरफ अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 68 रकबा 1.80 हैक्टर की स्थित है। जिसके माठ की तरफ सार्वजनिक रास्ता आया हुआ है। उक्त आराजी मे रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान में एकतरफा पारित किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का पूर्णतया अवसर प्रदान नही किया गया। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment" The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat" इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना कैम्प कोर्ट में विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 51/2012 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2015 को अपास्त किया जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में जो भी राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया गया है उन्हे भी निरस्त किया जाता है। तथा पत्रावली इस निर्देशों के साथ रिमाण्ड की जाती है कि हस्तगत प्रकरण को विधिअनुसार सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय आज दिनांक से 03 माह के भितर पारित करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। यदि सहमति बनती है तो सहमति बनाने पर

यह निर्णय आज दिनांक 7/09/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
7/09/2021